भारत में पुलिस-व्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2025: पुलिस प्रताड़ना और गैरजवाबदेही

निष्कर्षों का सारांश

एसपीआईआर (SPIR) 2025 भारत में पुलिस हिंसा और यातना के प्रवृति, कारणों और उन कारकों का विश्लेषण करता है जो इस तरह की यातनाओं की निरंतरता में योगदान देते हैं। यह रिपोर्ट यातना से जुड़े पुलिस के रवैये और इसके इस्तेमाल के सामान्यीकरण को समझने का प्रयास करती है। इसमें जुड़े जवाबदेही के स्टैक्होल्डर जैसे डॉक्टरों, अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के दृष्टिकोण और अनुभव भी शामिल हैं। यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है, जिसमें पुलिसकर्मियों के सर्वेक्षण, साक्षात्कार और डेटा विश्लेषण जैसी मिश्रित कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया है।

कॉमन कॉज़ ने सीएसडीएस के लोकनीति कार्यक्रम के साथ मिलकर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े और मध्यम दर्जे के शहरी और ग्रामीण इलाकों के 82 स्थानों जैसे पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइंस और कोर्ट में विभिन्न पदों के 8,276 पुलिसकर्मियों का सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और छोटे, मध्यम तथा बड़े शहरों में किया गया। प्रतिभागियों में कांस्टेबल (कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल), उच्च अधीनस्थ (सहायक उप-निरीक्षक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक तक के पद) और भारतीय पुलिस सेवा(आईपीएस) अधिकारी शामिल थे। इस अध्ययन में डॉक्टरों, अधिवक्ताओं, और न्यायाधीशों के गहन साक्षात्कार भी शामिल हैं, जिनका काम पुलिस और हिरासत में रखे गए लोगों के साथ जुड़ा होता है।

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि एक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के दौरान अत्याचार और हिंसा के इस्तेमाल को उचित ठहराते हैं। वे यह भी मानते हैं कि उन्हें किसी दंड के डर के बगैर बल प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए।

नीचे एसपीआईआर(SPIR) 2025 के कुछ मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

कानून के शासन की अवहेलना

- बीस प्रतिशत पुलिसकर्मियों का मानना है कि जनता के बीच डर पैदा करने के लिए कड़े तरीकों का उपयोग करना "बहुत महत्वपूर्ण" है, जबकि 35 प्रतिशत कर्मियों का मानना है कि यह "कुछ हद तक महत्वपूर्ण" है।
- प्रत्येक चार में से एक पुलिसकर्मी यौन उत्पीड़न (27%) और बच्चे उठाने/ अपहरण(25%) के मामलों में भीड़ की हिंसा को पूरी तरह से उचित ठहराते हैं। यह संकेत देता है कि भारत के लगभग एक चौथाई पुलिसकर्मी ऐसे मामलों को गंभीर मानते हुए भीड़ के न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद बनने के विचार का समर्थन करते हैं। विभिन्न प्रकार के अपराधों के सवाल पर सिपाही और आईपीएस स्तर के अधिकारी भीड़ की हिंसा को सबसे अधिक उचित ठहराते हैं, जबकि उच्च अधीनस्थ अधिकारी इसे सबसे कम उचित मानते हैं। गुजरात के पुलिसकर्मियों में भीड़ की हिंसा के प्रति सबसे अधिक समर्थन देखा गया, जबकि केरल के पुलिसकर्मियों में यह समर्थन सबसे कम था।

- बाईस प्रतिशत पुलिसकर्मियों का मानना है कि "खतरनाक अपराधियों" को कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध कराने के बजाए उन्हें मार देना बेहतर है। अधिक अनुभवी और उच्च अधीनस्थ अधिकारी इस कथन से कम सहमत पाए गए।

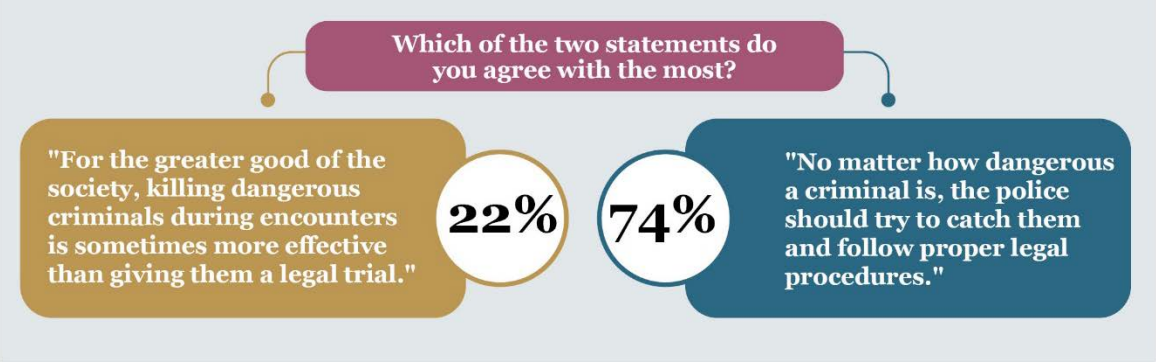

Note: All figures are in percentages. Rest did not respond.

Question asked: I will read out two statements, please tell me which statement you agree with the most?

Statement 1: "For the greater good of the society, killing dangerous criminals during encounters is sometimes more effective than giving them a legal trial."
Statement 2: "No matter how dangerous a criminal is, the police should try to catch them and follow proper legal procedures."

*पुलिसकर्मियों में आमतौर पर यह धारणा है कि अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने के लिए पुलिस को बिना किसी सजा के डर के बल प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए- 26 प्रतिशत पूरी तरह से सहमत हैं और 45 प्रतिशत कुछ हद तक सहमत हैं।

Note: All figures are in percentages. Rest did not respond.

Question asked: "To properly fulfil their responsibilities, police should be allowed to use force without any fear of punishment." Do you agree or disagree?

गिरफ्तारी प्रक्रियाओं का कमजोर अनुपालन

• मोटे तौर पर, 41 प्रतिशत पुलिसकर्मियों ने कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रियाओं का "हमेशा" पालन किया जाता है, जबकि 24 प्रतिशन के कहा कि उनका "कभी-कभी या कभी नहीं" अनुपालन किया जाता है। केरल में सबस अधिक अनुपालन दर्ज किया गया(94 प्रतिशत ने "हमेशा" कहा)। आईपीएस अधिकारी(33%) में यह कहने की सबसे कम संभावना रही कि इन प्रक्रियाओं का हमेसा पालन किया जाता है, जबकि उच्च पद के अधीनस्थ(49%) अधिकारी सबसे अधिक ऐसा कहने की संभावना रखते हैं।

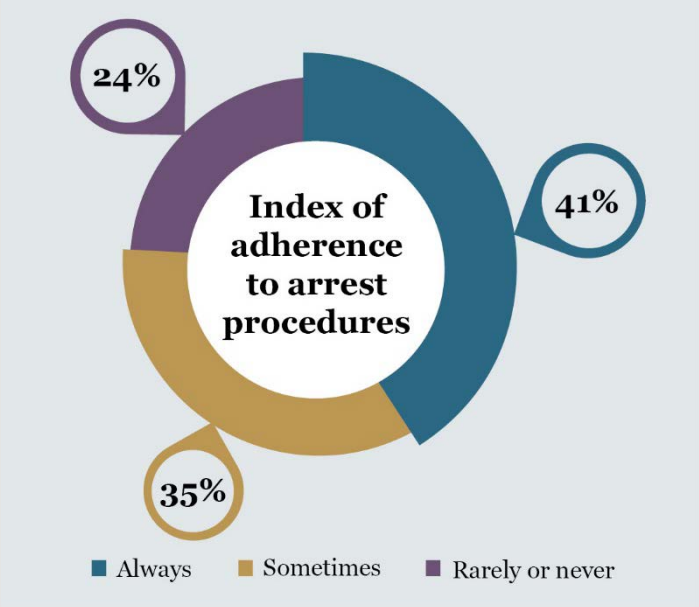

Note: All figures are in percentages. The categories of "rarely" and "never" were merged while creating the index. Please refer to Appendix 5 to see how the index was created.

☐ किसी जमानती अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का कानूनी अधिकार है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए और हिरासत में न रखा जाए। पुलिस उत्तरदाताओं में से केवल 62 प्रतिशत ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को जमानती अपराधों में पुलिस स्टेशन पर तुरंत जमानत पर "हमेशा" रिहा किया जाता है, जबकि 19 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें "कभी-कभी" तुरंत रिहा किया जाता है।

☐ केवल आधे से थोड़ा अधिक उत्तरदाताओं (56%) ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस के लिए "हमेशा" व्यावहारिक/संभव होता है। ग्यारह(11) प्रतिशत ने कहा कि ऐसा

करना शायद ही कभी या कभी भी संभव नहीं होता। आईपीएस अधिकारियों में से केवल 39 प्रतिशत इस बात से सहमत थे कि ऐसा करना "हमेशा" व्यावहारिक/संभव होता है, जबकि ऊपरी अधीनस्थ पदों के 61 प्रतिशत अधिकारी इस बात से सहमत थे।

यातना का औचित्य

- तीस प्रतिशत पुलिसकर्मियों का मानना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी के खिलाफ "थर्ड-डिग्री तरीकों" का उपयोग उचित है। नौ प्रतिशत का कहना है कि मामूली अपराधों में भी यह उचित है। आईपीएस अधिकारी और वे पुलिसकर्मी जो अक्सर पूछताछ करते हैं, थर्ड-डिग्री तरीकों के उपयोग को अधिक उचित ठहराते हैं।
- ग्यारह प्रतिशत पुलिसकर्मियों का मानना है कि आरोपी के परिवार के सदस्यों को मारना या थप्पड़ मारना पूरी तरह से उचित है, जबकि 30 प्रतिशत का कहना है कि यह कभी-कभी उचित होता है।
- एक चौथाई (25%) पुलिसकर्मी "असहयोगी" गवाहों को थप्पड़ मारने को उचित ठहराते हैं, जबकि नौ प्रतिशत गवाहों पर भी थर्ड-डिग्री तरीकों के उपयोग को उचित मानते हैं।

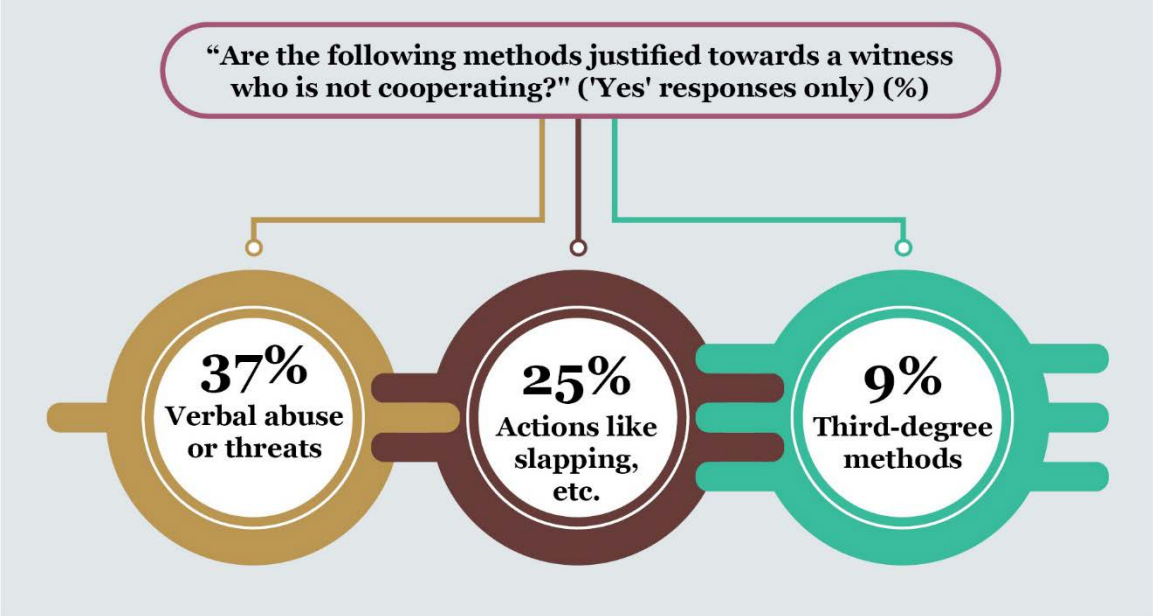

Note: All figures are in percentages. The rest either said that the above methods were not justified or did not respond.

Question asked: We often hear that the police use various tactics to solve criminal cases, such as verbal abuse, threats, physical force such as slapping, etc. or third-degree methods. In your opinion, are these practices justified towards a witness who is not cooperating?

*तीस प्रतिशत पुलिसकर्मियों में यातना को उचित ठहराने की उच्च प्रवृत्ति पाई गई है, जबकि 32 प्रतिशत में मध्यम प्रवृत्ति देखी गई है। आईपीएस अधिकारियों में यातना को उचित ठहराने की उच्च प्रवृत्ति सबसे अधिक 34 प्रतिशत है, वहीं ऐसे पुलिसकर्मी जो अक्सर पूछताछ करते हैं, उनमें यह प्रवृत्ति 37 प्रतिशत है। झारखंड के प्रत्येक दो में से एक(50%) और गुजरात के 49 प्रतिशत पुलिसकर्मी यातना को उचित ठहराने की उच्च प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि केरल के पुलिसकर्मियों(1%) में यह प्रवृत्ति सबसे कम है।

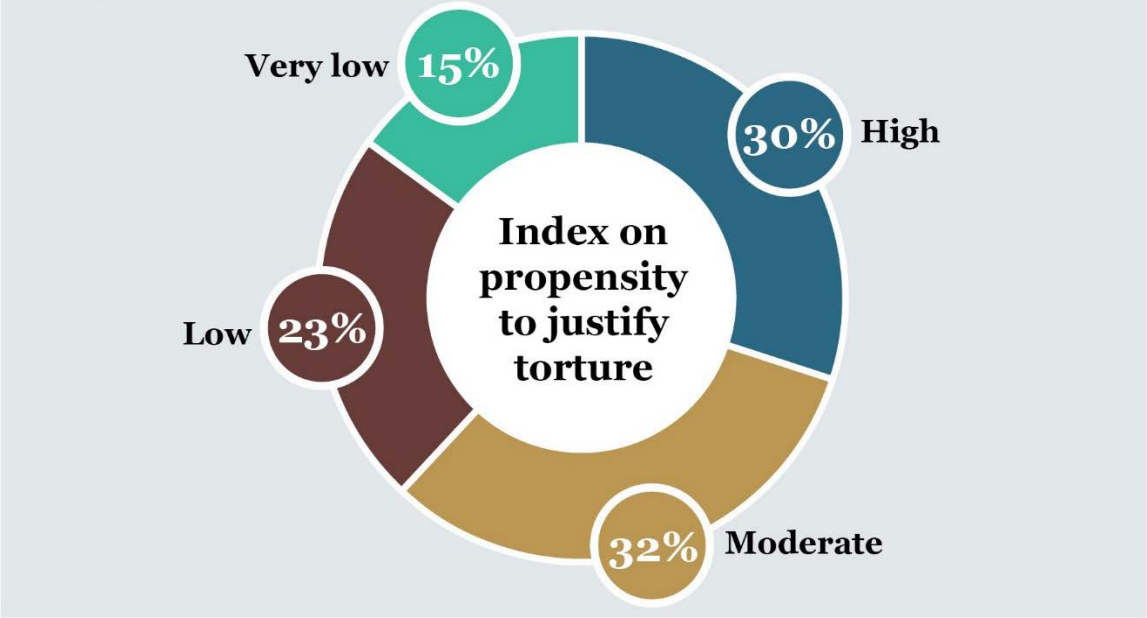

Note: All figures are in percentages. Please refer to Appendix 5 to see how the index was created.

प्रशिक्षण और जवाबदेही

- अधिकांश पुलिसकर्मियों का मानना है कि मानवाधिकारों पर प्रशिक्षण(79%), यातना की रोकथाम(71%) और साक्ष्य-आधारित पूछताछ तकनीकों(79%) का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यातना को उचित ठहराने की उच्च प्रवृत्ति रखने वाले उत्तरदाताओं में से 70 प्रतिशत का भी मानना है कि यातना की रोकथाम का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।
- पुलिसकर्मियों का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि उन्हें अदालत की जांच के बिना संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति मिलनी चाहिए(28 प्रतिशत –पूरी तरह सहमत-, 41 प्रतिशत कुछ हद तक सहमत)। जो पुलिसकर्मी अक्सर गिरफ्तारियां करते हैं उनमें इस विचार का सबसे अधिक समर्थन करने की संभावना है।
- उच्च अधीनस्थ पदों के 42% कर्मी मानते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हिरासत में यातना देखने पर उसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए, इसके बाद सिपाही पद के 36% कर्मी इस बात से सहमत हैं, जबकि आईपीएस अधिकारियों में केवल 23% ही इसे अनिवार्य मानते हैं।

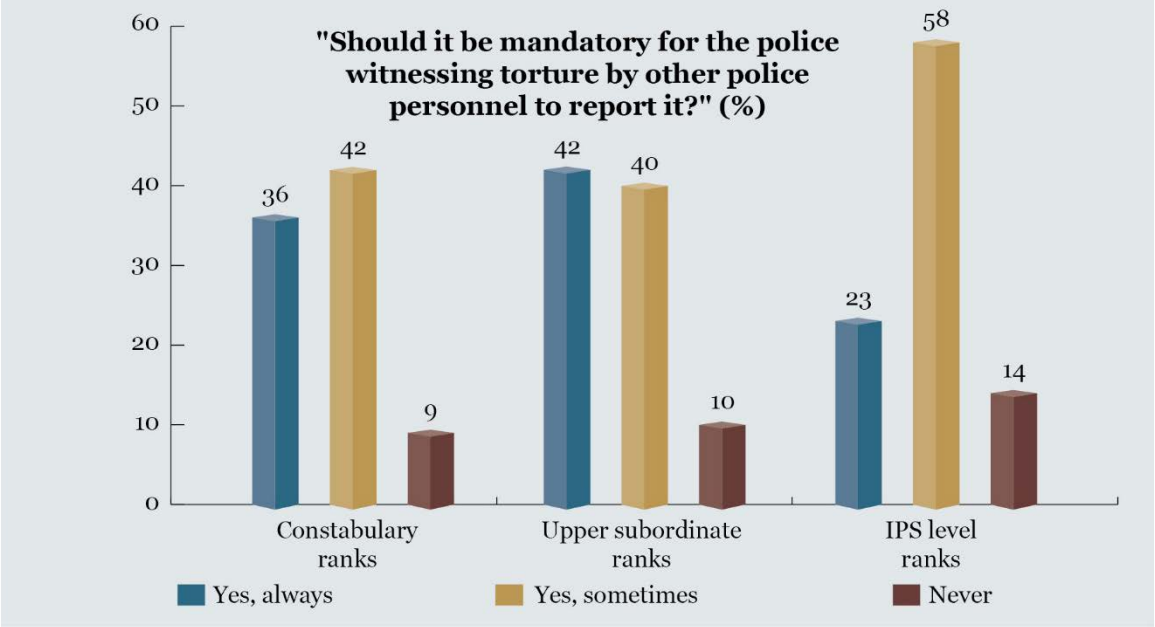

Note: All figures are in percentages. Rest did not respond.

Question asked: Most often, custodial torture is witnessed by other police officers. In your opinion, should it be mandatory for police witnesses to report this type of violence?

यातना के प्रति सुरक्षा- अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और डॉक्टरों के दृष्टिकोण

• साक्षात्कार में शामिल लोगों ने कहा कि यातना के शिकार ज्यादातर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग होते हैं। एक अधिवक्ता ने इसे "सभी बेनाम और बेजुबान" को निशाना बनाए जाने के रुप में वर्णित किया। आमतौर पर जिन समूहों को यातना का शिकार बनाया जाता है उनमें मुस्लिम, दलित, आदिवासी, वैसे लोग जो पढ़-लिख नहीं सकते और झुग्गियों में रहने वाले लोग शामिल हैं।

• दस साक्षात्कारकर्ताओं ने कहा कि मजिस्ट्रेटों को गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ बातचीत करते देखना "बहुत ही दुर्लभ" है। एक अधिवक्ता ने मजिस्ट्रेटों को "मूकदर्शक" के रुप में वर्णित किया जो कुछ भी दर्ज नहीं करते और गिरफ्तार व्यक्तियों से कुछ नहीं पूछते कि उन्हें कब और कहां गिरफ्तार किया गया है।

• डॉक्टरों ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों का चिकित्सा परीक्षण अक्सर उन डॉक्टरों द्वारा किया जाता है जिन्हें फोरेंसिक चिकित्सा का ज्ञान नहीं होता, जिससे वे यातना के चिन्ह पहचानने में कम सक्षम होते हैं। परीक्षण किसी भी उपलब्ध डॉक्टर द्वारा किया जाता है, भले ही वह "नेत्र विशेषज्ञ या ऐनस्तथिसियोलॉजिस्ट" हों। एक दूसरे डॉक्टर ने बताया कि जिला और तालुका अस्पतालों में फोरेंसिक डॉक्टर मौजूद नहीं हैं।

• अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों में इस बात पर सहमति थी कि पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे को कभी भी स्वीकार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। एक सेवानिवृत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि "यह आरोपियों के जीवन के लिए बहुत खतरनाक होगा"।

आधिकारिक आंकड़ों से प्राप्त रुझान

- विभिन्न डेटा स्रोतों में पुलिस हिरासत में मौत के मामलों की रिपोर्टिंग में विसंगतियाँ पाई गई हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने 76 मामलों की रिपोर्ट दी, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 90 मामलों की जानकारी दी। वहीं, सिविल सोसाइटी की पहल नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर (NCAT) ने उसी वर्ष में 111 हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए।
- पुलिस हिरासत में होने वाली अधिकतर मौतें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही होती हैं। वर्ष 2022 में, NCRB द्वारा रिपोर्ट की गई पुलिस हिरासत में हुई मौतों में से 55 प्रतिशत मामले ऐसे थे जिनमें व्यक्ति रिमांड पर नहीं था, अर्थात गिरफ्तारी के पहले 24 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हुई। गुजरात में 2018-22 के बीच पुलिस हिरासत में हुई 96 प्रतिशत मौतें गिरफ्तारी के पहले 24 घंटे के भीतर हुईं।
- 2022 में, हिरासत में हुई मौतों के सभी मामलों में न्यायिक जांच अनिवार्य होने के बावजूद केवल 35 प्रतिशत मामलों में ही न्यायिक जांच के आदेश दिए गए।
- 2018-22 के बीच, पुलिस हिरासत में हुई मौतों में से केवल 10 प्रतिशत मामलों में ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। दर्ज किए गए मामलों में से केवल 12 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, और इस दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों के लिए एक भी दोषसिद्धि नहीं हुई।

Scan to Download the Report

पूरी रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए यहां क्लिक करें:
https://www.commoncause.in/wotadmin/upload/SPIR_2025.pdf
सवाल या सुझाव के लिए, कृपया इस ईमेल पर संपर्क करें: commoncauseindia@gmail.com